

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 01/2024

दायर दिनांक : 06/02/2023

निर्णय दिनांक : 06/03/2024

उनवान

1. रामचन्द्र पिता भैरा सुथार निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. भंवरीबाई पत्नी नाथूलाल सुथार निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. बंशीलाल पिता नाथूलाल सुथार निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान पिता गोदा तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. नारायण पिता सुखा तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. तुलसीराम पिता सौराम तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम कांकरवा तहसील भूपालसागर की खाता सं. 375 की आ.सं. 320 रकबा 0.14 है, आ.सं. 397 रकबा 0.37 है, आ.सं. 400 रकबा 0.10 है, आ.सं. 404 रकबा 0.01 है, आ.सं. 405 रकबा 0.02 है, आ.सं. 410 रकबा 0.21 है, आ.सं. 412 रकबा 0.11 है, आ.सं. 729 रकबा 0.25 है, आ.सं. 731 रकबा 0.35 है, किता 9 रकबा 1.56 है। भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमाकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत सघारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित कर कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

